मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

-

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/10/2020

क्रमांक एफ 17-12/2020/38-1- डॉ. सुनील कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक (गणित) शासकीय महाविद्यालय, नागदा द्वारा महाविद्यालय की महिला अधिकारी के विरूद्ध मानसिक प्रताड़ना, उत्पीड़न एवं अमर्यादित आचरण किए जाने की शिकायत पर प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रमाणित पायी गयी।

2/ डॉ. सुनील कुमार प्रसाद द्वारा कारित कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होने से राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुनील कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक (गणित) शासकीय महाविद्यालय, नागदा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए डॉ. सुनील कुमार प्रसाद का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, रीवा संभाग, रीवा नियत करता है। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान डॉ. सुनील कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक (गणित) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

29/10

(श्वेता पवार)
उप सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 17-12/2020/38-1 भोपाल, दिनांक 29/10/2020

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन, भोपाल,म.प्र.।
4. जिला कोषालय अधिकारी,उज्जैन।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर आदेश की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को तामिल कराकर पावती इस विभाग को भेजें।
6. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नागदा, जिला उज्जैन।
7. डॉ. सुनील कुमार प्रसाद, सहायक प्राध्यापक (गणित) शासकीय महाविद्यालय, नागदा, जिला उज्जैन।
8. आर्डर बुक।

29/10

उप सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग